न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2003/00032

मिसल नम्बर–407 / 2006

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

रविन्द्र खोसला वल्द लाला हर कृष्ण खोसला जाति– खत्री निवासी आर्य समाज रोड कोटा

–अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 24/12/24

उपस्थिति:–

1.सरकार पैरोकार

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी के खाते जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 के अनुसार ग्राम सकतपुरा में खसरा नम्बर 272 / 804 व खसरा नम्बर 272 / 805 कुल रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बरों के नए खसरा नम्बर 383 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 384 रकबा 0.88 है0 कुल रकबा 1.68 है0 बनाये गये। जबकि सेटलमेंट पूर्व के रकबे 06 बीघा 09 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 1.03 है0 बनता है। भू प्रबंध विभाग द्वारा अप्रार्थी के खाते 0.65 है0 रकबा अधिक दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 383 रकबा 0.80 है0 में से 0.65 है0 भूमि वाके ग्राम सकतपुरा को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 संलग्न किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 383 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 384 रकबा 0.88 है0 कुल रकबा 1.68 है0 नगर विकास न्यास कोटा (धारा 90बी) आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है उक्त खसरा नम्बरान में मौके पर भूमि खाली (पडत) है।

उपखण्ड अधिकारी
को

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि को सिवाईचक किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है। हमारे विनम्र मत में हस्तगत आराजी के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होने के कारण वर्तमान में इस न्यायालय को प्रकरण में निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नही है। अतः प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि भू प्रंबध के दौरान रकबे में हुए किसी भी परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में चारा जोरी करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा